

अनुदान संख्या 43 – स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
GRANT No. 43 - DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving -
------------------------------	--	---

(हजार रुपयों में)

(In thousands of rupees)

राजस्व: स्वीकृत- मूल	Revenue: Voted- Original	3216,00,00	3216,02,00	3175,71,81	-40,30,19
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				70,21,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, अभ्यर्पित राशि (₹7021.00 लाख) ₹4030.19 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

Notes and comments

1. In the grant, the amount surrendered (₹7021.00 lakhs) exceeded the overall savings of ₹4030.19 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
ममुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services				
मू.	O.	3400.00	2655.00	2542.55	-112.45
पु.	R.	-745.00			

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	---

शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"			
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health			
मू.	O.	308200.00		
पू.	S.	1.00	311899.32	315029.26
पु.	R.	3698.32		+3129.94
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	10000.00		
पू.	S.	1.00	26.68	..
पु.	R.	-9974.32		-26.68

(I) ₹10001.00 लाख का प्रावधान (फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹8601.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली" – ₹7901.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(खा) "प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन" – ₹700.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹10001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2019) remained wholly unutilised under six heads; of these ₹8601.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – "Medical Education, Training and Research – Allopathy" – under the following heads:-

(A) "Indian Council of Medical Research, New Delhi" – ₹7901.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(B) "Management of Natural Calamities" – ₹700.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग” के अंतर्गत – ₹857.45 लाख की बचत (₹3400.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2210” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:-

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अन्य व्यय – चिकित्सा, जैव चिकित्सा तथा स्वास्थ्य में समन्वय” – ₹2650.00 लाख की बचत (₹3100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर-क्षेत्रीय सम्मिलन तथा समन्वय के अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाओं के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी” –

(क) “स्वास्थ्य अनुसंधान का संवर्धन, समन्वय और विकास” – ₹899.34 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों में बहु संकाय अनुसंधान यूनिटों के सरकारी चिकित्सा कालेजों और अनुसंधान संस्थानों को खोलने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) “भोपाल स्मारक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, भोपाल” – ₹1228.00 लाख की बचत (₹14000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा उपभोज्य उपकरणों तथा सिविल कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(गा) “लोक स्वास्थ्य” –

(क) “प्रशिक्षण – औषध और स्वास्थ्य अनुसंधान” – ₹1370.81 लाख की बचत (₹2700.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्येतावृत्ति/ प्रशिक्षण के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2251” – “Secretariat - Department of Health Research” - saving of ₹857.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3400.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head “2210” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Urban Health Services - Allopathy - Other Expenditure - Co-ordination in Medical, Biomedical and Health” - saving of ₹2650.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3100.00 lakhs) was due to non receipt of viable proposals towards research projects under inter-sectoral convergence and co-ordination.

(B) “Medical Education, Training and Research - Allopathy” –

(a) “Promotion, co-ordination and development of Health Research” – saving of ₹899.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment of Government medical colleges and research institutions of Multi Disciplinary Research Units in States.

(b) “Bhopal Memorial Hospital and Research Centre, Bhopal” - saving of ₹1228.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards procurement of consumables, equipment and civil works.

(C) “Public Health” -

(a) “Training- Research in Medicine and Health” - saving of ₹1370.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals towards fellowship/training.

(ख) “रोगों की रोकथाम और नियंत्रण – प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन” – ₹1085.74 लाख की बचत (₹6300.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वायरल अनुसंधान और निदान की नई प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) “Prevention and Control of Diseases- Management of Natural calamities”- saving of ₹1085.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6300.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals towards establishment of new Viral Research and Diagnostic Labs.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹11085.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2210” – “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी – भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), नई दिल्ली” – के अंतर्गत फरवरी, 2019 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹11084.00 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹11085.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakh in February, 2019 under Major Head “2210” - “Medical Education, Training and Research – Allopathy- Indian Council of Medical Research (ICMR), New Delhi”. Actual excess, however, was ₹11084.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2210” – “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण के लिए निधियां” – के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹3185.00 लाख का अधिक व्यय (₹141600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर-लेखा अंतरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) Saving were also offset by excess under Major Head “2210” - “Medical Education, Training and Research - Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for transfer to National Investment Fund for Indian Council of Medical Research” - excess of ₹3185.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹141600.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards inter-account transfer.